<u>छत्तीसगढ़ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सेवा) संख्या 1987/2011</u>

याचिकाकर्ता:-

रामानंद साहू, आत्मज स्वर्गीय कबिलास साहू, आयु लगभग 58 वर्ष, पूर्व कार्यभारित कर्मचारी, सिंचाई विभाग, कुरुद, जिला धमतरी। निवासी: ग्राम कोडापार, थाना: कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादी:-

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.) 492001

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, महानदी परियोजना, रायपुर-492001 (छ.ग.)

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अनुविभागीय अधिकारी, जल प्रबंधन उप-संभाग क्रमांक 2, भाटागांव (पी.ओ.), जिला: धमतरी (छ.ग.)

4. पुलिस महानिरीक्षक, (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, रायपुर-492001 (छ.ग.)

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रस्तुत रिट याचिका</u>

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सेवा) संख्या 1987/2011</u>

<u>याचिकाकर्ता</u>: रामानंद साहू

विरुद्ध

<u>उत्तरवादी</u> : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश उद्घोषित करने के लिए प्रकरण दिनांक तिथि 16 जुलाई, 2012 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (एस) संख्या 1987/2011</u>

<u>याचिकाकर्ता</u>: रामानंद साहू

विरुद्ध

<u>उत्तरवादी</u> : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: याचिकाकर्ता की ओर से श्री बी.पी. राव, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से श्री पी.के. भादुड़ी, पैनल अधिवक्ता।

(आज दिनांक 16 जुलाई, 2012 को निर्णय पारित किया गया)

1. इस याचिका में मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 नवंबर, 2010 (अनुलग्नक - पी/5) को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रारंभ में याचिकाकर्ता को 1 जुलाई, 1984 को सिंचाई विभाग में दैनिक वेतन भोगी मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान याचिकाकर्ता की पत्नी श्रीमती सोनारिन बाई की हत्या के संबंध

में 18 दिसंबर, 1991 को याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त ओम प्रकाश के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता(भा.द.सं.) की धारा 302 और 394 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके अनुसार, उसे दिनांक 21 मार्च, 1992 से 30 अगस्त, 1992 तक निरुद्ध रखा गया। जब याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा हुआ, तो उसने कर्तव्य पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति के लिए उत्तरवादी प्राधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उक्त प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने सहायक श्रम आयुक्त, रायपुर के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिन्होंने 5 फरवरी, 1993 (अनुलग्नक - पी/1) के आदेश द्वारा उत्तरवादियों को 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर पिछले वेतन के बिना याचिकाकर्ता को कर्तव्य में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

4. उक्त आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता को कर्तव्य में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया। इसी बीच, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर न्यायालय ने सत्र प्रकरण क्र. 107/94 में पारित निर्णय दिनांक 21 अगस्त, 1995 द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात वर्तमान याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त ओम प्रकाश को द. प्र. सं. की धारा 302 और 394 के तहत

दंडनीय कथित अपराधों से दोषमुक्त कर दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने उक्त निर्णय की एक प्रति उत्तरवादी प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की और उनसे अपनी सेवाओं को जारी रखने और नियमित करने का अनुरोध किया।

5. उत्तरवादी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता को अभिप्रमाणन प्रपत्र भरने के लिए कहा। याचिकाकर्ता के अनुसार, ज्ञान की कमी और निरक्षरता के कारण, वह प्रपत्र नहीं भर सका और विभाग के एक कर्मचारी से प्रपत्र भरने का अनुरोध किया। इसके बाद, उक्त प्रपत्र उत्तरवादी विभाग द्वारा सत्यापन के लिए पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) को भेजा गया था। पत्र दिनांक 6 सितंबर, 2010 (अनुलग्नक - पी/4) द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) ने रिपोर्ट दी कि याचिकाकर्ता का कार्य "नैतिक अधमता" के दायरे में आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. कॉलम नंबर 12 में, याचिकाकर्ता ने अपने पूर्ववृत्त के संबंध में प्रश्न का उत्तर दिया; इसमें 21 मार्च, 1992 से 30 अगस्त, 1992 तक अपनी निरुद्धता के तथ्य को छुपाते हुए नकारात्मक उत्तर दिया गया था। तदनुसार, तथ्यों को छुपाने के कारण आदेश दिनांक 30 नवंबर, 2010 (अनुलग्नक - पी/5) द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया था। इसके विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी प्राधिकारियों के समक्ष कई अभ्यावेदन दिए और अपनी बहाली के लिए अनुरोध किया, क्योंकि आक्षेपित निष्कासन आदेश याचिकाकर्ता को

सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित किया गया है। अतः, इस हेतु यह याचिका दायर की गई है।

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री भादुड़ी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी हिरासत, अपराध के पंजीकरण और विचारण आदि के संबंध में तात्विक तथ्यों को छुपाया है। याचिकाकर्ता ने अवैध तरीके से शासकीय सेवा प्राप्त की। याचिकाकर्ता के आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस प्राधिकारियों से जानकारी प्राप्त होने के बाद, आक्षेपित निष्कासन आदेश उचित रीती से पारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. श्री भादुड़ी आगे तर्क दिया कि अभिप्रमाणन प्रपत्र के कॉलम नंबर 12 में याचिकाकर्ता का उत्तर नकारात्मक है और यह याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर किया गया था। वास्तव में, याचिकाकर्ता अच्छी तरह जानता था कि यदि उसकी हिरासत, चालान पेश करने और विचारण के संबंध में जानकारी प्राधिकारियों को ठीक से दी जाती है, तो याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता के आचरण को देखते हुए, याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है और याचिका खारिज होने योग्य है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिवचनों और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

10. प्रारंभ में याचिकाकर्ता को 1 जुलाई, 1984 को सिंचाई विभाग में दैनिक वेतन भोगी मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2008 (अनुलग्नक आर/1) के माध्यम से याचिकाकर्ता को विभागीय छानबीन समिति द्वारा कार्य प्रभारित और आकस्मिकता निधि कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया था। उक्त नियुक्ति पुलिस सत्यापन के अधीन थी। यदि सत्यापन पर यह पाया जाता कि याचिकाकर्ता शासकीय सेवा के लिए उपयुक्त नहीं था, तो उसकी सेवाओं को बिना किसी नोटिस के हटाया जा सकता था। तदनुसार, याचिकाकर्ता को अभिप्रमाणन प्रपत्र (अनुलग्नक पी/3) भरने के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ता ने विधिवत भरा हुआ प्रपत्र जमा किया। इसके बाद उक्त प्रपत्र सत्यापन हेतु पुलिस को भेजा गया। कॉलम नंबर 12 में याचिकाकर्ता के पूर्ववृत्त के संबंध में दो प्रश्न पूछे गए थे, जो इस प्रकार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "12 (**A**) क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है। क्या आपको कभी समन किया गया है। क्या आपने कभी जुर्माना भरा है। क्या आपको कभी किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है (या) क्या आपको कभी किसी परीक्षा में बैठने से मना किया गया है या विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से निष्कासित किया गया है।
>
> (**B**) क्या अभिप्रमाणन प्रपत्र भरने के समय न्यायालय, विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान में कोई मामला लंबित है। यदि (**A**) या (**B**) दोनों मामलों में आपका उत्तर हाँ है, तो लंबित प्रकरण, गिरफ्तारी, प्रतिबंध, दोषसिद्धि, जुर्माना आदि का पूरा विवरण और

न्यायालय, विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान में लंबित प्रकरण का विवरण दें।"

याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कॉलम नंबर 12 (**A**) के अपने उत्तर में नकारात्मक उत्तर दिया है और उसके बाद, याचिकाकर्ता ने बाद के आवेदन या स्पष्टीकरण द्वारा गलती को सुधारने का प्रयास नहीं किया है।

11. अभिप्रमाणन प्रपत्र को पुलिस द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था और सत्यापन के आधार पर यह पाया गया कि कॉलम नंबर 12 को जानबूझकर नहीं भरा गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता पर उसकी पत्नी की हत्या के संबंध में द. प्र. सं. की धारा 302 और 394 के तहत कथित अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था, जिसका अंततः दोषमुक्ति (दोषमुक्त) में परिणाम निकला।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इस प्रकार, तथ्यों को छुपाना कदाचार की श्रेणी में आता है और उक्त पुलिस रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का आक्षेपित आदेश दिनांक 30 नवंबर, 2010 पारित किया गया था। याचिकाकर्ता संस्थान में केवल 13 अगस्त, 2008 से 30 नवंबर, 2010 तक की अवधि के लिए बना रहा, लंबी अवधि के लिए नहीं।

13. **केन्द्रीय विद्यालय संगठन और अन्य विरुद्ध राम रतन यादव**[1] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 12 में निम्नानुसार निर्णय दिया:

[1](2003) 3 एससीसी 437

"12. अभिप्रमाणन प्रपत्र के कॉलम 12 और 13 में जानकारी प्राप्त करने और उसके बाद उम्मीदवार द्वारा प्रमाणीकरण का उद्देश्य सेवा में बने रहने के लिए उसकी उपयुक्तता का विनिश्चय करने के लिए चरित्र और पूर्ववृत्त का पता लगाना और सत्यापित करना था। तात्विक जानकारी छुपाने और/या गलत जानकारी देने वाला उम्मीदवार सेवा में बने रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। नियोक्ता को नियोजन की प्रकृति और अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त करने का विवेकाधिकार था, जिसे नियुक्ति प्रस्ताव की कंडिका 9 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। कॉलम 12 और 13 के अनुसार जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य न तो अपराध की प्रकृति या गंभीरता और न ही अंततः किसी आपराधिक प्रकरण के परिणाम का पता लगाना था। उक्त कॉलम में जानकारी याचिकाकर्ता के चरित्र और पूर्ववृत्त को सेवा में जारी रखने या न रखने के दृष्टिकोण से विनिश्चय करने के लिए मांगी गई थी..."।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **कमल नयन मिश्रा विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[2] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विधिक प्रश्न यह था कि क्या राज्य सरकार बिना किसी जांच या कारण बताओ अवसर के, किसी सिविल पद के धारक को बर्खास्त या हटा सकती है, यदि एक बार यह पाया जाता है कि उसने अभिप्रमाणन प्रपत्र में गलत/झूठी जानकारी दी है। दूसरा, क्या कर्मचारी की बर्खास्तगी वैध थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कर्मचारी के विरुद्ध द. प्र. सं. की धारा 323, 341, 294 और 506-ख सहपठित धारा 34 के तहत एक आपराधिक मामला लंबित था, इसलिए उसे सेवा से समाप्त कर दिया गया था।

[2](2010) 2 एससीसी 169

15. कमल नयन मिश्रा (पूर्वोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि राम रतन यादव (पूर्वोक्त) में दिया गया निर्णय परिवीक्षाधीन व्यक्ति से संबंधित था, न कि सिविल पद के धारक से। इस प्रकार, सिविल पद धारण करने वाले पुष्टिकृत कर्मचारी को अभिप्रमाणन प्रपत्र में गलत जानकारी देने पर, उसके विरुद्ध आरोपों का सामना करने का अवसर दिए बिना सेवा से समाप्त नहीं किया जा सकता है।

16. कमल नयन मिश्रा (पूर्वोक्त) में, याचिकाकर्ता को दिनांक 24 जुलाई, 1980 को नियुक्त किया गया था और लगभग एक दशक बाद, दिनांक 22 अगस्त, 1989 को याचिकाकर्ता विरुद्ध को एक आपराधिक आरोपपत्र दायर किया गया था और उसे दिनांक 9 सितंबर, 2004 के निर्णय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। अभिप्रमाणन प्रपत्र दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 को प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता को लगभग 7 वर्ष बाद सेवा से हटाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता को प्रारंभ में दिनांक 1 जुलाई, 1984 को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, द. प्र. सं. की धारा 302 और 394 के तहत दंडनीय कथित अपराध के लिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने और दिनांक 21 मार्च, 1992 से दिनांक 30 अगस्त, 1992 तक कारावास में बंद रहने के कारण दैनिक वेतन भोगी

सेवा से हटा दिया गया था। जमानत पर कारावास से छूटने के बाद, याचिकाकर्ता ने सहायक श्रम आयुक्त, रायपुर से संपर्क किया, जिन्होंने दिनांक 5 फरवरी, 1993 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की बहाली का निर्देश दिया, जिसका उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा पालन किया गया। याचिकाकर्ता बिना किसी अंतराल के तब तक सेवा में बना रहा जब तक कि उसे आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2008 (अनुलग्नक-आर/1) द्वारा जांच के बाद नियमित नहीं कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस प्रकार, द. प्र. सं. की धारा 302 और 394 के तहत दंडनीय कथित अपराध के लिए याचिकाकर्ता के कारावास में बंद होने का तथ्य प्राधिकारियों को तब ज्ञात था जब याचिकाकर्ता कारावास से जमानत पर छूटा था और श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5 फरवरी, 1993 के अनुसरण में दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा में बहाल किया गया था। 5 फरवरी, 1993 के आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई थी।

19. याचिकाकर्ता को विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21 अगस्त, 1995 के माध्यम से द. प्र. सं. की धारा 302 और 394 के तहत दंडनीय कथित अपराध से दोषमुक्त कर दिया था। उसके बाद, याचिकाकर्ता की ओर से कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं बताया गया। याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि याचिकाकर्ता निरक्षर होने के कारण उसने स्वयं

अभिप्रमाणन प्रपत्र नहीं भरा और विभाग के एक कर्मचारी से इसे भरने का अनुरोध किया। इस प्रकार, कॉलम नंबर 12 का नकारात्मक उत्तर देना जानबूझकर नहीं माना जा सकता है, इस तथ्य को देखते हुए कि वह 1995 में ही दोषमुक्त हो गया था और उसके बाद, उसे दैनिक वेतन के आधार पर काम करने की अनुमति दी गई और बाद में 13 अगस्त, 2008 के आदेश द्वारा सेवा में नियमित किया गया। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अभिप्रमाणन प्रपत्र न भरने से यह नहीं माना जा सकता है कि यह 'तथ्यों को दबाने और असत्य कथन' का मामला था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. निरक्षर होने के कारण याचिकाकर्ता यह नहीं समझ सका होगा कि उसे उस आपराधिक प्रकरण के दौरान कारावास में अपने कारावास में होने के बारे में सूचित करना था जिसमें वह दैनिक वेतन भोगी के रूप में अपनी सेवा के दौरान बहुत पहले दोषमुक्त हो गया था। प्राधिकारियों को उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के पद पर बने रहने के लिए उसकी याचिकाकर्ता की सक्षमता पर विचार करना चाहिए।

21. अगला प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता 'सिविल पद' धारण कर रहा था, 13 अगस्त, 2008 के आदेश के अवलोकन पर, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को अन्य लोगों के साथ नियमित किया गया था,

यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसकी नियुक्ति परिवीक्षा पर थी। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता दिनांक 13 अगस्त, 2008 के आदेश द्वारा जांच के माध्यम से नियुक्त होने के बाद राज्य सरकार का कर्मचारी बन गया। इस प्रकार, वह नियुक्ति की तिथि से 'सिविल पद' का धारक था। पुलिस सत्यापन की शर्त शीघ्रातिशीघ्र की जानी चाहिए थी, हालांकि इस प्रकरण में याचिकाकर्ता अपनी दोषमुक्ति के बाद भी दैनिक वेतन भोगी के रूप में पद पर कार्य करता रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. सर्वोच्च न्यायालय ने **डॉ. गुरजीवन ग्रेवाल (श्रीमती) विरुद्ध डॉ. सुमित्रा दाश (श्रीमती) और अन्य**[3] के प्रकरण में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत 'सिविल पद' के अर्थ पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया था :-

> "12. शुरुआत में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 311 को उन सभी उदाहरणों में स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है जहाँ किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद 311 भारत संघ या राज्य के तहत सिविल क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। केवल वे व्यक्ति जो "सिविल पद" धारण कर रहे हैं, अनुच्छेद 311 के तहत प्रदान की गई सुरक्षा का दावा कर सकते हैं। प्रथम उत्तरवादी अनुच्छेद 311 की सुरक्षा का दावा तभी कर सकती है जब वह "सिविल पद" धारण करती हो। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने असम राज्य विरुद्ध कनक चंद्र दत्ता में "सिविल पद" के अर्थ की व्याख्या की है। यहाँ यह अभिनिर्धारित गया था कि:

[3](2004) 5 एससीसी 263

"'पद' और 'सिविल पद' की कोई औपचारिक परिभाषा नहीं है। जिस अर्थ में उनका उपयोग संविधान के भाग **XIV** के सेवाओं वाले अध्याय में किया गया है, वह उनके संदर्भ और परिवेश द्वारा इंगित किया गया है.. एक सिविल पद का अर्थ नियमित सेवाओं के बाहर रक्षा से संबंधित नहीं होने वाला पद है। पद एक सेवा या नियोजन है। राज्य के अधीन पद धारण करने वाला व्यक्ति राज्य के अधीन सेवा करने वाला या नियोजित व्यक्ति है। ..... राज्य और उसके अधीन पद धारण करने वाले व्यक्ति के बीच स्वामी और सेवक का संबंध होता है। इस संबंध का अस्तित्व राज्य के पद धारक को चुनने और नियुक्त करने के अधिकार, उसे निलंबित और बर्खास्त करने के अधिकार, उसके काम करने के तरीके और पद्धति को नियंत्रित करने के अधिकार और उसके वेतन या पारिश्रमिक के भुगतान द्वारा इंगित किया जाता है। स्वामी और सेवक का संबंध अन्य परिस्थितियों के साथ मिलकर इन सभी या कुछ संकेतों की उपस्थिति से स्थापित किया जा सकता है और यह प्रत्येक प्रकरण में तथ्य का प्रश्न है कि क्या राज्य और किसी पद के कथित धारक के बीच संबंध है।" (एआईआर पृष्ठ 886, कंडिका 9)

(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. इस प्रकार, राज्य सरकार के अधीन सिविल पद धारण करने की कसौटी वर्तमान प्रकरण में पूरी तरह से संतुष्ट है। यदि याचिकाकर्ता जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत निहित है, 'सिविल पद' धारण कर रहा था, तो उसे सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना सेवा से नहीं हटाया जा सकता था और इस कारण से भी, आक्षेपित आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता।

24. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर इन विधिक सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, आक्षेपित आदेश दिनांक 30 नवंबर, 2010 (अनुलग्नक-पी/5) को अभिखंडित किया जाता है। याचिकाकर्ता को तत्काल सेवा में बहाल किया जाए। हालांकि, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता पिछले किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा।

25. परिणामस्वरूप, रिट याचिका को उपर्युक्त बताये गये सीमा तक स्वीकार किया जाता है, जिसमें पक्षकार अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

====0000====

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ratna Sahu, Adv.